संख्या–सा–3–1272/दस–2010–101(12)/2009

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 20 दिसम्बर, 2011

विषय :– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रकिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1997/दस–2010–101(12)/2009, दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– इस संबंध में निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 के पत्रांक–2556/4(39)/00/को0नि0/प्रावि0 दिनांक 21–9–2011 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 की उक्त व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दी जाय–

" कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जायेंगे"।

3– शासनादेश दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या–सा–3–1272(1)/दस–2010–101(12)/2009 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
6– प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
7– प्रदेश के समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 76 सा0 वित्त–23–12–2011–(1398)–5000+2 प्रतियां (आफसेट) ।